



केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक-21.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Sardar Balwinder Singh Bhunder** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 831 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020.21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	SAARTHI	ASHMANI KUMAR, MOB- 7837580072	4	SEC-80, MOHALI (SAS NAGAR), PUNJAB
2	VARDHAN PURI MANN	SANDEEP MANN, MOB- 9417058040	8	SEC-80, MOHALI (SAS NAGAR), PUNJAB
3	RAYANSH	RANDHIR KUMAR, MOB- 8595495283	3	SEC-80, MOHALI (SAS NAGAR), PUNJAB
4	ARYAN	ASHWANI KUMAR, MOB- 8437841010	6	MULLAN PUR, GARIBDAS, PUNJAB
5	JOBANPREET SINGH	KULWINDER SINGH, MOB- 9915100342	1	SEC-80, MOHALI (SAS NAGAR), PUNJAB
6	MANMEET KAUR	SUKHWINDER SINGH, MOB- 9592140385	6	NO.2, DMW, PATIALA
7	BHAVIKA THAKUR	ASHWANI KUMAR, MOB- 9781393843	1	SEC-80, MOHALI (SAS NAGAR), PUNJAB
8	JASKARAN SINGH	GURMEET SINGH, MOB- 8054891963	1	SEC-80, MOHALI (SAS NAGAR), PUNJAB
9	CHILD NAME IS NOT RECOMMENDED BY HON'BLE MP			
10	CHILD NAME IS NOT RECOMMENDED BY HON'BLE MP			

दिवा मकु 2

कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

- (i) **विद्यार्थी**, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय **विद्यालय** को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त **विद्यार्थी** के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पत्रा 5/2
22/8/20
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. **Sardar Balwinder Singh Bhunder** माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, **CHANDIGARH** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित **विद्यालय** को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

